

12/11/25

पार्थी वकील अनुपस्थित। पार्थी का वाद
अपम पैंसवी अपम हाजरी में खारिज हो
चुका है। अतः उक्त आवेदन का कोई
भौचित्य नहीं रह जाता है। उक्त पार्थी
का आवेदन इसी स्टेज पर खारिज
किया जाता है। फ़ावली पैंसल शहर
होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल
करने से।

